



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1942 (श0)
(सं0 पटना 427) पटना, बुधवार, 8 जुलाई 2020

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

6 जुलाई 2020

सं0 3-प्र/11-01/2017-742—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार राज्य के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) निदेशालय बिहार, पटना एवं उनके अधीनस्थ एन0सी0सी0 कार्यालयों के बिहार एन0सी0सी0 लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, सेवाशर्तें एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन) को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—

- (1) यह नियमावली “बिहार एन0सी0सी0 लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, सेवाशर्तें एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन) नियमावली, 2020 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार एन0सी0सी0 कार्यालयों में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।— जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :

- i ‘सरकार’ से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
- ii ‘नियुक्त प्राधिकार’ से अभिप्रेत है, अपर महानिदेशक, एन0सी0सी0 निदेशालय, बिहार
- iii ‘संवर्ग नियंत्रि प्राधिकार’ से अभिप्रेत है, अपर महानिदेशक, एन0सी0सी0 (विभागाध्यक्ष)
- iv ‘विभाग’ से अभिप्रेत है, बिहार सरकार का कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
- v ‘आयोग’ से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग
- vi ‘संवर्ग’ से अभिप्रेत है, बिहार एन0सी0सी0 लिपिकीय संवर्ग
- vii ‘अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति’ से अभिप्रेत है, सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।
- viii ‘सदस्य’ से अभिप्रेत है, संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति और इस नियमावली के प्रवृत्त होने से संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति इसमें शामिल हैं।

3. **संवर्ग की संरचना।—** संवर्ग की संरचना निम्नवत होगी :

क्रम सं.	पद का नाम	प्रोन्नति	संवर्ग बल का प्रतिशत
1	निम्न वर्गीय लिपिक	मूल कोटि (अराजपत्रित)	60%
2	उच्च वर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	27%
3	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	12%
4	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	1%

नोट:— उक्त पदों का वेतनमान, वेतन स्तर तथा स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाय।

4. **भर्ती।—**

- (क) निम्नवर्गीय लिपिक का 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा से भरा जायेगा।
- (ख) 15 प्रतिशत पद इन्टरमीडिएट योग्यताधारी सुपात्र कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) में से भरा जायेगा। सीधी भर्ती के 85 प्रतिशत पदों में से 10 प्रतिशत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा।
- (ग) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की 01 अप्रैल के आधार पर आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की गणना की जाएगी और 30 अप्रैल तक आयोग को आरक्षण कोटिवार अधियाचना भेज दिया जायेगा।
- (घ) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद मेधाक्रम में अभ्यर्थियों की अनुशंसा नियुक्ति हेतु करेगा।
- (ङ) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति परीक्षा पर करेगा।

5. **अर्हता।—**

- (क) निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट (10+2) या समकक्ष उत्तीर्ण के साथ कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान होना आवश्यक है।
- (ख) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर निर्धारित की जाय।

6. **प्रोन्नति।—**

- (क) संवर्ग के उच्चतर कोटि के पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाएँगे। प्रोन्नति का आधार वरीयता-सह-योग्यता होगा। प्रोन्नति हेतु आरक्षण, कालावधि एवं समय-समय पर निर्धारित अन्य अर्हताएँ लागू होंगी।
- (ख) प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जा सकेगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।
- (ग) निम्नवर्गीय लिपिक से उच्चवर्गीय लिपिक में प्रोन्नति हेतु सेवा सम्पूष्ट होना तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

7. आरक्षण।— संवर्ग में भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. स्थानान्तरण/पदस्थापन।— अपर महानिदेशक एन0सी0सी0 निदेशालय (विभागाध्यक्ष), बिहार द्वारा इस संवर्ग के कर्मियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जायेगा। इसके संबंध में बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

9. परीक्षा।— सीधी भर्ती परीक्षा पर दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इनका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

10. **वरीयता।—**

- (i) सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता आयेगा द्वारा निर्धारित मेधा क्रमानुसार निर्धारित की जाएगी।
- (ii) किसी वर्ष में प्रोन्नति से नियुक्त कर्मी सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी से वरीय होंगे।
- (iii) किसी वर्ष में अनुकम्पा पर नियुक्त कर्मी सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी से कनीय होंगे।

11. विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम।— लिपिकीय संवर्ग के लिए हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्वद द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता होगी।

12. सम्पुष्टि।— किसी परीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा परीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्टि की जाएगी।

13. अवशिष्ट मामले।— ऐसे मामलों के संबंध में, जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं, संवर्ग के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रवृत्त प्रावधानों से शासित होंगे।

14. कठिनाईयों का निराकरण।— बिहार सरकार समय-समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

15. शिथिल करने की शक्ति।— जहाँ सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी व्यक्ति या किसी कोटि के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेगी।

16. निर्वचन।—जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

17. निरसन एवं व्यावृत्ति।—

(क) इस नियमावली के प्रवृत्त होते ही इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश निरसित किये जाते हैं।

(ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश में प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)—अस्पष्ट,
प्रधान सचिव।

The 6th July 2020

No. 3-प्र/11-01/2017-742—In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regulating the recruitment, conditions of service and transfer/posting of the clerical cadre of the NCC, Bihar of NCC Directorate, Bihar Patna and its subordinate offices under the Art, Culture and Youth, Department of Government of Bihar.

1. Short title, extent and commencement:—

(1) These Rules may be called as the "**Bihar NCC Clerical Cadre (Recruitment and conditions of Service & Transfer/Posting) Rules, 2020.**"

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions.— In these rules, unless and otherwise required in the context:-

(i) "**Government**" means, Government of Bihar

(ii) "**Appointing Authority**" means, ADG, NCC Directorate, Bihar

(iii) "**Cadre Controlling Authority**" means, ADG, NCC Directorate Bihar (HOD)

(iv) "**Department**" means, Govt of Bihar Art, Culture and Youth Department

(v) "**Commission**" means, Bihar Staff Selection Commission

(vi) "**Cadre**" means, Bihar NCC Clerical Cadre

(vii) "**Appointment on compassionate, means appointment of any one of the Ground**" means dependents of the government servant dying in harness, as per relevant circulars/ instructions.

(viii) "**Member**" means, A person appointed in the cadres and includes All the persons appointed in the cadres effected of these Rules.

3. Cadre Structure.—The cadre shall be at state level. The Cadre structure of the clerical cadre shall be as follows:-

Sl. No	Name of Post	Promotion	Percentage of Cadre Strength
1.	Lower Division Clerk	Basic Category (Non gazetted)	60%
2.	Upper Division Clerk	First Promotion Level (Non gazetted)	27%

Sl. No	Name of Post	Promotion	Percentage of Cadre Strength
3.	Head Clerk	Second Promotion Level (Non gazetted)	12%
4.	Assistant Administrative Officer (AAO)	Third Promotion Level (Non gazetted)	1%

Note:- Before the implementation of this rule they will be treated in this cadre, those who will be appointed and working on the above categories.

4. Recruitment:—

- 85% posts of L.D.C. shall be filled up through direct recruitment i.e. Bihar Staff Service Commission.
- 15% posts shall be filled up from amongst the eligible office Attendant/Attendant (Specific) employees having Intermediate (10+2) qualification. Of the 85% posts for direct recruitment, 10% shall be reserved for the appointment on compassionate ground.
- The appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1st April every year and shall send the requisition to the Commission by the 30th April.
- The Commission shall advertise the vacancies and after selection of successful candidates on the basis of competitive examination shall recommend the name of the candidates in order of merit to the appointing authorities concerned.
- The appointing authority after due scrutiny shall appoint the candidate on probation.

5. Qualification:—

- The minimum educational qualification shall be intermediate (10+2) or equivalent, with knowledge of computer operation and computer typing.
- Minimum age for recruitment shall be eighteen years and maximum age shall be the same as determined by the State Government (General Administration Department) from time to time.

6. Promotion:—

- Promotion from basic grade to higher grades may be given on completion of KALAWADHI as determined by the General Administration Department from time to time and on the recommendation of Departmental Promotion Committee.
- Promotion shall be after recommended by the departmental promotion committee. Departmental promotion committee shall be constituted by Department through separate order.
- Service confirmation and promotion from Lower Division Clerk to Upper Division Clerk shall be compulsory after passing of departmental examination.

7. Reservation.—Compliance of reservation/roster in recruitment as well as promotion, as notified by the State Government from time to time, shall be necessary.

8. Transfer/Posting.— The transfer/posting of this grade will be carried out by the ADG of NCC Directorate (Head of the Department), NCC, Bihar. In this regard the instruction/Order of the Bihar government will be followed. Apart from this in keeping view of the activities of the NCC following decisions have been taken.

9. Probation.—Each recruitment shall be on probation for two years and it can be extended for one year in special circumstances by the appointing authority, if the probation period is not satisfactory. Such extension shall be done only if the appointment authority is of the opinion that the probationer has a chance to improve. If the service is not found satisfactory in the extended period also, the person concerned shall be removed from the service.

10. Seniority.—

- (i) Inter-se seniority of the member of the cadre shall be according to their merit position determined by the Commission.
- (ii) Provided also that the person appointed through promotion in a recruitment year shall be senior to the person appointed through competitive examination in the concerned recruitment year.
- (iii) Provided that the person appointed on the basis of compassionate ground shall be junior to such persons who have been appointed on the basis of competitive examination of concerned recruitment years.

11. Departmental examination and curriculum.— For clerical cadre Hindi noting and drafting examination and departmental examination conducted by the Central Examination Committee, Board of Revenue exam shall be passed compulsory.

12. Confirmation.—A probationer shall be confirmed after completion of satisfactory probation period and passing of the Hindi noting & drafting exam & departmental examination.

13. Residuary matters.—With regard to matters not specifically covered by these Rules, the members of the cadres shall be governed by the Rules, Regulations or orders applicable to the employees of the State Government at appropriate level.

14. Removal of difficulties.—The Government of Bihar (General Administration Department) may from time to time, issue such general or special direction as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of these Rules.

15. Power to relax.— Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax and of the provisions of these Rules with respect to any person or any grade.

16. Interpretation.—Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these Rules, the matter shall be decided by the Law Department whose decisions shall be final.

17. Repeal and Savings:—

- (a) All resolutions and instructions issued earlier with respect to this cadre are hereby repealed.
- (b) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under such resolutions, instructions shall be deemed to have been done or taken in exercise of the Powers conferred by or under these Rules as if these Rules were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

By order of the Governor of Bihar,
(Sd)-Illegible,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 427-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>